उत्पाद-शुल्क

टिप्पणः वि.उ.शु. से विशेष उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।

अ.उ.शु. (वि.म.मा.) से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम के अधीन उदगृहीत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैंः

क. मूल्यानुसार दर संरचनाः

(I) 8%, 16% और 24% की त्रिस्तरीय शुल्क संरचना (पेट्रोलियम उत्पाद, तम्बाकू- उत्पाद, पान मसाला, टेक्सटाइल और विनिर्दिष्ट-दर के उत्पादों के सिवाय)

(II) निम्नलिखित मदों पर वि.उ.शु. 16% से कम करके 8% किया गया है;

1) टायरों
2) वातित मृदु पेय और उनके सांद्र
3) पालिएस्टर फिलामेंट सूत
4) वातानुकूलक और संघटक
5) मोटर कारें

ख. सहायता उपायः

(I) निम्नलिखित मदों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई हैः-

1) बाइसिकल और उसके पुर्जे
2) खिलौने
3) मोजाइक टाइलें
4) धातुओं के बर्तन और रसोई घर की वस्तुएं
5) छुरियां, चम्मचे और रसोई के बर्तन/खाने पीने के बर्तन की वैसी ही मदें
6) ब्रांडीकृत शल्यचिकित्सीय पट्टियां
7) रिकार्डेड श्रव्य सी.डी
8) काष्ठ की वस्तुएं
9) नकली जरी
10) आसंजक टेप
11) तापदीप्त गैस आवरण में उपयोग के लिए बुने हुए नलिकाकार गैस आवरण फैब्रिक
12) छतरियां
13) टहलने की छड़ियां, घोड़े के चाबुक और वैसे ही वस्तुएं
14) अभ्रक की वस्तुएं
15) किरोसिन दाब लालटेनें
16) दोष निवारक ऐनक के लिए शीशे, फ्लिंट बटन
17) रजिस्टर, लेखा बहियां आदि
18) लौह और इस्पात के विनिर्माण में उत्पन्न धातुमल।
19) ताम्र/जिंक के प्रगलन के अनुक्रम में उत्पन्न होने वाला स्वर्ण

(II) निम्नलिखित मदों पर उत्पाद-शुल्क को 16% से कम करके पूर्ण केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय सहित 8% किया गया हैः

1) प्रेशर कूकर
2) बिस्कुट
3) क्वथनित मिष्ठान, चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चाकलेट को छोड़कर)
4) रूक्ष नेत्रप्रदाह ब्लैंक
5) दंत कुर्सी
6) इलैक्ट्रिक यान
7) सुगंधित सुपारी
8) निकोटिन पोलाक्रिलेक्स गम

(III) निम्नलिखित मदों पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बिना 4% या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय सहित 16% के वर्तमान शुल्क को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सहित 8% पर सुव्यवस्थित किया गया हैः

1) कम भार के कंकरीट भवन ब्लाक। वातित और सेलुलर कम भार के कंकरीट ब्लाकों और स्लेबों पर 8% की दर पर विस्तारित किया गया है।
2) प्रयोगशाला के कांच के सामान
3) सिलाई मशीनों के लिए क्रैंकशाफ्ट
4) प्रहस्तन जल के लिए विद्युत चालन पम्प
5) चिकित्सा उपस्कर
6) पूर्व संविरचित निर्माण

ग. शुल्क का अधिरोपणः

निम्नलिखित मदों पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय सहित 8% का उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया हैः

1) परिष्कृत खाद्य तेल (खुदरा विक्रय के लिए ब्रांडीकृत और पैक किया हुआ)*
2) वनस्पति, मारगरीन और अन्य वैसी ही खाद्य निर्मितियां (खुदरा विक्रय के लिए ब्रांडीकृत और पैक किए हुए)*
3) आड़ी चपटी ट्यूबिंग
4) विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए रसायन अभिकर्षक
5) कृषि अपशिष्ट से बनाए गए काष्ठ मुक्त कण या फाइबर बोर्ड
6) कम से कम 75% अघोषित कच्ची सामग्रियों से विनिर्मित कागज और कागज बोर्ड
7) श्वेत-श्याम टेलीविज़नों के लिए सस्ता मुद्रित सर्किट बोर्ड

* इन उत्पादों के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाने या पुन; लेबल लगाने और माल को विपण्य बनाने के लिए पुन; पैक करना या कोई उपचार करने को विनिर्माण करने की प्रक्रिया घोषित किया गया है।

घ. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (रा.आ.आ.शु.):

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की पुनःपूर्ति के लिए निम्नलिखित मदों पर शुल्क अधिरोपित किया गया हैः

1) पालिएस्टर फिलामेंट सूत, मोटरकारें, बहु उपयोगिता यानों और दोपहियों पर 1%
2) देशी कच्चे तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन। तथापि, उत्पाद शेयरिंग संविदा के अधीन या तो खोजे गए क्षेत्रो में या नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन प्रस्तावित खोज ब्लाकों में उत्पादित कच्चे तेल को ऐसे उद्ग्रहण से छूट दी जाएगी।

   यह उद्ग्रहण एक वर्ष (29-2-2004तक) के लिए विधिमान्य होगा।

ङ. अ.उ.शु.(विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957:

1.5% के कुल कर राजस्व को अस्वीकर किए बिना, 4% से अनधिक दर पर चीनी, टेक्सटाइल और तम्बाकू उत्पादों पर बिक्री कर उद्ग्रहण करने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए उपर्युक्त अधिनियम में समुचित संशोधन किए गए हैं। यह बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।

च. पेट्रोलियम उत्पादः

1) मोटर स्प्रिट और उच्च गति डीजल तेल (सड़क विकास के लिए) पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क एक रुपया प्रति लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है।
2) हल्के डीजल तेल (ह.डी.ते.) पर उत्पाद-शुल्क 1.50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है।
3) इथानोल मादित पेट्रोल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित मोटर स्प्रिट पर अधिभार से तीस पैसे प्रति लीटर की रियायत को एक और वर्ष, अर्थात् 29-2-2004 तक जारी रखा गया है।
4) हल्के डीजल तेल पर संदत्त शुल्क की बाबत केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं होगा।

छ. चायः

चाय को 1 रुपए प्रति किलोग्राम के उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है और इसके स्थान पर, चाय बागान सेक्टर के विकास के लिए अधिभार के रूप में 1 रुपए प्रति किलो ग्राम का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरंभ किया गया है।

ज. स्वास्थ्यः

1) निम्नलिखित मदों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई हैः
   क) विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियां और जीवन रक्षक उपस्कर
   ख) ग्लूकोमीटर और ग्लूकोमीटर परीक्षण पट्टियां
   ग) साइक्लोसपोरिन
   घ) सीएपीडी द्रव प्रणाली, उसके उपसाधन और पुर्जे
   ङ) नैदानिक परीक्षणों के लिए औषधियां और सामग्रियां
   च) पहिएदार कुर्सी के पुर्जे
2. कारखाने के उत्पादन में बंधित रूप से प्रयुक्त मध्यवर्ती औषधि को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

झ. लघु उद्योग छूट स्कीमः

1) 1.4.2003 से लघु उद्योग छूट के अधीन पात्रता के लिए 3 करोड़ रुपए की पात्रता सीमा को संगणित करने हेतु छूट प्राप्त माल के मूल्य को (निर्यात को छोड़कर) सम्मिलित किया जाएगा।
2. निम्नलिखित मदों पर 1.4.2003 से लघु उद्योग छूट वापस ले ली गई हैः
   (क) चीनी मिट्टी की टाइलें। कारखाने से बाहर शुल्क संदत्त टाइलों से बनाई गई मुद्रित चीनी मिट्टी की टाइलों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
   (ख) स्टेनलैस स्टील पट्टियां/पट्टे।

ञ. सीमेंटः

1) सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है।
2) सीमेंट क्लिंकर पर उत्पाद-शुल्क 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है।
3) छोटे सीमेंट संयंत्रों द्वारा बनाए गए सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 250 प्रति मीट्रिक टन किया गया है।
4) स्थूल में निकासी किए गए सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क 332 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 382 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है।

ट. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियांः

1) 1 मार्च, 2003 उस तारीख के रूप में अधिसूचित की गई है जिस तारीख को वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा किए गए, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 के संशोधन प्रभावी होंगे।
2) ऐल्कोहल या स्वापक पदार्थ से युक्त प्रसाधन निर्मितियों पर शुल्क 50% से कम करके 16% किया गया है।

3) ऐल्कोहल या स्वापक पदार्थों से युक्त औषधियों पर शुल्क 20% या विनिर्दिष्ट दर से कम करके 16% दर पर लाया गया है।

4) स्व-जनित ऐल्कोहल से युक्त और जो एल्कोहालिक सुपेय के रूप में उपयोग किये जाने के लिए समर्थ नहीं हैं, ऐसी आयुर्वेदिक/यूनानी/स्वदेशी औषधियों पर पूर्ण छूट प्रतिधारित की गई है।

5) ऐल्कोहल या स्वापक पदार्थों से युक्त प्रसाधन निर्मितियां खुदरा विक्रय कीमत पर 40% के उपशमन सहित, खुदरा विक्रय कीमत आधार पर निर्धारित की जाएगी।

ठ. दियासलाईः

1) मशीनीकृत या अमशीनीकृत सेक्टर में विनिर्मित दियासलाइयों पर विनिर्दिष्ट शुल्क दर को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बिना 8% के एक समान उत्पाद-शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

2) अमशीनीकृत सेक्टर द्वारा बनाई गई दियासलाइयों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

3) उत्पाद स्टांप के माध्यम से दियासलाइयों पर शुल्क के संदाय के लिए विशेष प्रक्रिया को मूल्यानुसार उद्ग्रहण को आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप समाप्त किया जा रहा है।

ड. खुदरा विक्रय कीमत आधारित निर्धारणः

I. **निम्नलिखित मदों को खुदरा विक्रय कीमत आधारित निर्धारण स्कीम में सम्मिलित किया गया हैः**

1. निर्धारणीय मूल्य निकालने के लिए खुदरा विक्रय कीमत के 35% के उपशमन सहित नाशकजीवमार और कीटनाशी।
2. निर्धारणीय मूल्य निकालने के लिए खुदरा विक्रय कीमत के 50% के उपशमन सहित चबाने वाला तम्बाकू और चबाने वाले तम्बाकू से युक्त निर्मितियां

II. स्वच्छता सामान और चीनी मिट्टी के फिक्सचरों को खुदरा विक्रय कीमत आधारित उदग्रहण की परिधि से अपवर्जित किया गया है।

III. उत्पाद-शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप, उपशमन की दरों में परिवर्तन

1) वातित जल पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 50% से घटाकर 45% किया गया है।

2) वातानुकूलक पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 40% से घटाकर 35% किया गया है।

3) बिस्कुटों पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 40% से घटाकर 35% किया गया है।

4) क्वथनित मिष्ठान, चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चाकलेट को छोड़कर) पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 40% से घटाकर 35% किया गया है।

5) सुगंधित सुपारी (सुपारी के रूप में ज्ञात सुपारी चूर्ण) पर उपशमन को खुदरा विक्रय कीमत के 35% से घटाकर 30% किया गया है।

6) प्रैशरकुकरों पर उपशमन 35% से कम करके 30% कर दिया गया है।

IV. खुदरा विक्रय मूल्य की परिभाषा में परिवर्तन

1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4क के स्पष्टीकरण 1 में यथावर्णित खुदरा विक्रय मूल्य की परिभाषा को इस प्रकार उपांतरित किया जा रहा है जिससे कि इसका विस्तार उन मामलों में भी किया जा सके जहां अधिशासी विधि ऐसे माल पर कर रहित खुदरा विक्रय कीमत की घोषणा करने की अनुज्ञा देती है।

2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 2(च) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि इस बात का उपबंध किया जा सके कि वर्तमान में धारा 4क के उपबंधों के अधीन आने वाली वस्तुओं की पैकिंग, पुनः पैकिंग, माल के लेबलीकरण या पुनः लेबलीकरण, उन्हें इकाई आधानों में डालने की कोई प्रक्रिया, या तत्पश्चात मालों पर कोई खुदरा मूल्य की घोषणा या उसमें किसी परिवर्तन को विनिर्माण माना जाएगा।

3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 4क के उपबंधों का संशोधन किया जा रहा है ताकि-

क) निम्न खुदरा विक्रय मूल्य पर शुल्क के संदाय पर माल की निकासी के पश्चात उच्चतर खुदरा मूल्य नियत करने के मामलों में यह उपबंध किया जा सके कि उत्पाद-शुल्क इस प्रकार बाद में नियत किए गए ऐसे उच्चतर खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर उद्ग्रहणीय होगा।

ख) सरकार को ऐसे मालों के, जिन पर खुदरा विक्रय मूल्य घोषित नहीं किया गया है या घोषित किए गए खुदरा मूल्य में छेड़छाड़ की गई है, उसे मिटाया गया है या परिवर्तित किया गया है, खुदरा विक्रय मूल्य अभिनिश्चित करने में समक्ष बनाने के लिए शक्तियां ग्रहण करना और

ग) ऐसे अभिनिश्चय के लिए नियम बनाने के लिए शक्तियां ग्रहण करना।

ढ. सेवा करः

1) सेवा कर की दर को 5% से बढ़ाकर 8% किया जा रहा है।

2) निम्नलिखित सेवाओं पर 8% की दर से सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा है (अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होने वाला)

क) वाणिज्यिक व्यावसायिक संस्थाएं, कोचिंग सेंटर और निजी ट्यूटोरियल।

ख) तकनीकी जांच और विश्लेषण (स्वास्थ्य और नैदानिक जांच शामिल नहीं है), तकनीकी जांच और प्रमाणन।

ग) अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं, अर्थात वार्षिक अनुरक्षण संविदाएं (एएमसी) और प्राधिकृत अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं।

घ) कमीशनिंग और प्रतिष्ठापन सेवाएं।

ङ) उपभोक्ता देखरेख सेवाओं सहित कारबार संवर्धन और समर्थन सेवाएं। इन सेवाओं में उत्पादों का आरम्भ, उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियों का आयोजन,डाटा भांडागारण, सहायता डैस्क सेवाएं, फ्रंट कार्यालयों का प्रबंधन, जांच ब्यूरो इत्यादि शामिल हैं। यद्यपि, कम्प्यूटर समर्थ सेवाएं, अर्थात डाटा प्रसंस्करण, नेटवर्किंग,बैक आफिस प्रसंस्करण, कम्प्यूटर प्रसुविधा प्रबंधन सेवा कर के अधीन नहीं होगी।

च) इंटरनेट कैफे।

छ) मताधिकारी विक्रेता सेवाएं।

3) पत्तन सेवाओं पर सेवा कर का लघु पत्तनों पर विस्तार।

4) प्राधिकृत ऑटोमोबाइल सेवाओं पर सेवा कर का बहु उपयोगिता यानों पर विस्तार।

5) बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर का सभी विदेशी मुद्रा दलालों पर विस्तार। इस समय बैंकों और निगमित निकायों द्वारा विदेशी मुद्रा के संबंध में दी गई सेवाएं, सेवा कर के अन्तर्गत आती हैं। इसका सांपतिक, भागीदारी और ऐसी ही सेवाएं प्रदान करने वाले व्यष्टिक समुत्थानों पर विस्तार करने का प्रस्ताव है।

6) होटलों पर सेवा कर से वर्तमान छूट को 31.3.2003 के आगे बढ़ाया गया है।

7) यदि संदाय संपरिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाते हैं तब दी जाने वाली सेवा कर से छूट अब वापस ले ली गई है।

8) निर्गत सेवाओं पर सेवा कर के संदाय के लिए निवेश सेवाओं पर संदत्त सेवा कर के प्रत्यय को अब सभी सेवाओं पर विस्तारित किया जा रहा है।

9) सेवा कर के संबंध में प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के विरुद्ध अपील के लिए उपबंध किया जा रहा है।

10) विक्रय, विलयन, समामेलन आदि की दशा में सेवा कर प्रत्यय के अन्तरण के लिए उपबंध किया जा रहा है।

11) यदि प्रदान की गई सेवाओं की बाबत सेवा उपयोक्ता द्वारा संदाय किया गया हो तो सेवा कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करने के लिए उपबंध किया जा रहा है।

12) धारा 68, धारा 71 में भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है और वित्त अधिनियम, 1994 में एक नई धारा 71क अन्तःस्थापित की गई है जिससे 16-10-1998 से पूर्व की अवधि के लिए माल तथा परिवहन प्रचालक सेवाओं और सी एंड एफ सेवाओं के सेवा प्राप्तकर्ता से संगृहीत सेवा कर को विधिमान्य ठहराया जा सके।

13) अधिसूचना सं. 43/97-सेवा कर, तारीख 5-11-1997 को भूतलक्षी रूप से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि 16.11.2002 से 1.6.2002 की अवधि के लिए लघु उद्योग इकाइयों, व्यापारियों और प्राइवेट लिमिटेड व्यापार कम्पनियों के लिए माल तथा परिवहन प्रचालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर की छूट दी जा सके।

ञ. टेक्सटाइलः

1. सूतः

1) 8% उत्पादन शुल्क ऐसे कपास सूत के लिए प्रतिधारित किया जा रहा है जिसमें कोई अन्य टेक्सटाइल सामग्री अन्तर्विष्ट नहीं है।

2) पालिएस्टर सूत, सूत विस्कोस और सभी अन्य कते हुए सूत पर 12% उत्पाद शुल्क की एक समान दर को विहित किया गया है (वर्तमान में कुछ कपास सूतों विस्कोस सूतों के लिए दर 8% और अन्य के लिए 16% है)।

3) पालिएस्टर फिलामेंट सूत पर उत्पाद-शुल्क 32% से घटाकर 24% कर दिया गया है।

4) सभी अन्य फिलामेंट सूतों (जैसे विस्कोस फिलामेंट सूत नाइलान फिलामेंट सूत) पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 12% कर दिया गया है।

5) विरंजन, रजंन तथा कते हुए और फिलामेंट सूत पर की गई अन्य प्रक्रियाओं पर विनिर्दिष्ट शुल्क दरें वापस ले ली गई हैं। ऐसे सूतों पर तत्समान सूतों को लागू दरों पर शुल्क लगेगा*।

6) स्वतंत्र कपड़ा बुनकरों द्वारा पालिएस्टर फिलामेंट सूत पर की गई बुनावट या इसकी ऐंठन पर विनिर्दिष्ट शुल्क दरें वापस ले ली गई हैं। ऐसे फाइबरों पर 24%* का शुल्क लगेगा।

7) लघु उद्योग छूट फायदा मोटे कपड़े और ऊनी सूत के लिए वापस ले लिया गया है*

***उपरोक्त परिवर्तन 1.4.2003 से प्रभावी होंगे।**

2. फैब्रिकः

1) सभी व्यूतित सूत, मानवनिर्मित तथा ऊनी फैब्रिकों पर उत्पाद-शुल्क 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

2) सूती बुने हुए/क्रोशियाकृत फैब्रिकों पर शुल्क 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है।

(3) गैर-सूती बुने हुए/क्रोशियाकृत फैब्रिकों पर शुल्क 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(4) सभी ऐसे औद्योगिक वस्त्रों, जिनमें बुने हुए या क्रोशियाकृत रबड़ीकृत टेक्सटाइल फ्रैब्रिक हैं, जिन पर इस समय शून्य,21%,16% तथा 16% धन विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लग रहा है,पर 16% की दर पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(5) व्यूतित, क्रोशियाकृत या बुने हुए फैब्रिकों पर वैकल्पिक छूट 1.4.2003 से वापस ली जा रही है।

(6) समझी गई प्रत्यय स्कीम,जिसके अधीन शुल्क संदाय दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना प्रत्यय लिया जा सकता है, 1.4.2003 से वापस ली जा रही है;

(7) कशीदाकृत फैब्रिकों पर प्रशमित उद्ग्रहण (इस समय प्रति शिफ्ट मशीन के 45 रुपए प्रति मीटर लम्बाई पर प्रभारित) की प्रणाली को 10% के मूल्यानुसार शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह परिवर्तन 1.4.2003 से प्रभावी होगा।

(8) 1.4.2003 से निम्नलिखित छूटों को हटाया जा रहा हैः

(क) हस्त प्रंसस्करणकर्ता को छूट,यदि किसी भी प्रक्रिया में विद्युत या भाप का उपयोग किया जाता है।

(ख) सूत अवशोषक लिंट के विनिर्माण में प्रयुक्त सूती फैब्रिक(लघु उद्योग छूट के अन्तर्गत लाया जाएगा);

(ग) रबड़ीकृत टेक्सटाइल फैब्रिक;

(घ) व्यूतित अप्रसंस्कृत सूत पट्टा;

(ङ.) संकीर्ण व्यूतित फैब्रिक;

(च) शुल्क संदत्त प्रसंस्कृत फैब्रिकों से बनाए गए चुनट,समुद्भृत फैब्रिक;

(छ) ड्यू-ड्राप प्रक्रिया के अधीन क्रिया किए गए फैब्रिक;

(ज) बंधित रूप से उपभोग किए गए मुद्रित फ्रेम;

(झ) कशीदाकृत फैब्रिकों का प्रसंस्करण;

(ञ) व्यूतित स्थूणा और शनील फैब्रिक,टैरिटावलिंग फैब्रिक,गुच्छेदार फैब्रिक,महीन रेशमी मलमल और जाल फैब्रिक पर लघु उद्योग छूट हटा दी जानी है;

(ट) मोटे कम्बलों के विनिर्माण के लिए मोटी सूत, आदि से बने प्रसंस्कृत ऊनी फैब्रिक(150 रुपए प्रति वर्ग मीटर से निम्न)।

(9) अलाभ पूर्त संस्थाओं द्वारा विनिर्मित फैब्रिक और वस्त्रों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

3. वस्त्र और अन्य तैयार वस्तुएं:

1) सभी व्यूतित (सूत सहित) वस्त्रों और तैयार किए गए वस्त्रों पर उत्पाद-शुल्क 12% से घटाकर 10% किया गया है;

2) सूत से बुने वस्त्रों पर शुल्क को घटाकर 8% किया जा रहा है जबकि अन्य बुने हुए वस्त्रों पर शुल्क को घटाकर 10% किया गया है;

3) बुने हुए और क्रोशियाकृत वस्तुओं पर शुल्क 16% से घटाकर 12% किया गया है;

4) निम्नलिखित छूटें 14.2003 से वापस ली जा रही हैं;

(क) बरसाती,अंदर के कपड़े और वस्त्र उपसाधन जैसे रूमाल,टाइयां और दस्ताने। ये माल लघु उद्योग छूट के अधीन आएंगे।

(ख) हस्तकरघा फैब्रिकों से बनाई गई टेक्सटाइल वस्तुएं (लघु उद्योग छूट उपलब्ध होगी)।

(ग) तैयार वस्त्रों पर लघु उद्योग छूट।

(घ) कतिपय कीमत से निम्न ऊन या मोटी सूत के कम्बल।

5) नियत कार्य के आधार पर,ग्राहकों के वैयक्तिक उपयोग के लिए दर्जियों द्वारा सिले गए वस्त्रों को, जो विक्रय के लिए आशयित नहीं हैं, उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

6) नियत कार्य सुविधा संपूर्ण टेक्सटाइल सेक्टर पर विस्तारित की जाएगी। यदि फाइबर,सूत,फैब्रिकों का प्रदायकर्ता उत्पाद शुल्क संदाय करने का वचन देता है तो नियत कार्य करने वाले के पास उत्पाद रजिस्ट्रीकरण के अधीन न होने का विकल्प होगा। यह 1.4.2003 से प्रभावी होगा।

7) केन्द्रीय मूल्यवर्धित प्रत्यय नियम,2002 केन्द्रीय मूल्यवर्धित शुल्कों तथा विशेष उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए संदत्त अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क (अ.उ.शु.) (वि.म.मा.) के प्रत्यय को अनुज्ञात करने के लिए संशोधित किए गए हैं।

4. टेक्सटाइल मशीनरी:

बारह टेक्सटाइल मशीनरी मदों को, जिन्हें इस समय अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है, उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा रही है।

त. प्रकीर्ण:

(1) कम्प्यूटरों पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए पूर्व भारित साफ्टवेयर के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।

(2) शैक्षिक प्रकृति की सीडी-रोम आदि तथा सेलफोन और उनके पुर्जों पर उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

(3) तट-रक्षकों के लिए पोतों के संनिर्माण के लिए प्रदाय किए गए मालों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

(4) रज्जू,सुतली और उसी प्रकार की मदों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा रही है।

(5) मोटर यानों की चेसिस पर उत्पाद-शुल्क प्रति चेसिस 16% से बढ़ाकर 16% धन 10,000 रुपए कर दिया गया है।

(6) पशुचालित यानों के टायरों पर उत्पाद-शुल्क छूट वापस ले ली गई है। ऐसे टायरों पर 24% की दर से उत्पाद-शुल्क लगेगा।

(7) शीर्ष 73.04 या शीर्ष 73.05 के सीमेंट या पालिथिलीन या अन्य प्लास्टिक सामग्रियों से पाइपों या नलिकाओं के विलेपन को विनिर्माण के तुल्य घोषित किया गया है।

(8) कारखाना द्वार कीमत पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करने के लिए एकीकृत इस्पात विनिर्माताओं को तब भी दी गई सुविधा,जब उनका माल उनके डिपो से ही विक्रीत किया जाता है, वापस ली जा रही है। एकीकृत इस्पात विनिर्माता डिपो पर प्रसामान्य संव्यहार मूल्य पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करेंगे।

(9) शीर्ष 11.03 के अधीन आने वाले स्टार्चों के लिए आधानों पर लेबल लगाना,उन पर पुनः लेबल लगाना और प्रपुंज से खुदरा पैकों तक पैंकिंग करने या उपभोक्ता के लिए उत्पाद को विपणनीय बनाने के लिए किसी अन्य उपचार के अंगीकरण को विनिर्माण के तुल्य घोषित किया गया है।

थ. अधिनियम और नियमों में संशोधन:

(1) यह उपबंध किया गया है कि विनिर्माता से केवल उस प्रत्यय के उस भाग को प्रतिवर्तित करने की अपेक्षा तब की जाएगी, जिसका उसने अपने कारखाने में निवेश/पूंजी माल की प्राप्ति के समय लाभ उठाया था, जब ऐसे निवेश या पूंजी माल की कारखाने से उस रूप में निकासी की जाती है।

(2) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए,रक्षा परियोजनाओं को प्रदाय किए गए माल,विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्ची नाप्था और भ्राष्ट तेल को, तब तक केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 6 की परिधि में सम्मिलित किया जाएगा, जब तक कि उनके निवेशों की बाबत लिए गए प्रत्यय को प्रतिवर्तित नहीं कर दिया गया हो।

(3) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय तब भी अनुज्ञेय होगा जब स्वर्ण या चांदी,जो छूट प्राप्त हैं, ताम्र या जस्ता के प्रगलन के अनुक्रम में उत्पन्न होता है।

(4) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 8(2) के अधीन आयुक्त की शक्तियां प्रत्यय के अंतरण को अनुज्ञात करने के लिए, उपायुक्त/ सहायक आयुक्त को प्रत्यायोजित की गई हैं।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2(च)(iii) को,जो केन्द्रीय सरकार को किसी प्रक्रिया को "विनिर्माण" के रूप में घोषित करने में समर्थ बनाती है,विखंडित किया जा रहा है।

(6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4(3)(ग) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि हटाने के स्थान के अन्तर्गत कोई डिपो,परेषण अभिकर्ता का परिसर या कोई अन्य ऐसा स्थान भी है,जिसमें उत्पाद-शुल्क्य माल कारखाने से निकासी के पश्चात् विक्रीत किए जाते हैं। "हटाने का समय" की परिभाषा को भी तदनुसार उपांतरित किया गया है।

(7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि यह माना जाएगा कि किसी निर्धारिती से प्राप्त कुल रकम में निर्धारण के लिए मूल्य धन ऐसे मूल्य पर संदेय शुल्क सम्मिलित है और यह भी माना जाएगा कि सह-शुल्क मूल्य के अतिरिक्त प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल में मूल्य धन शुल्क सम्मिलित हैं।

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क(2) के अधीन आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों में तदर्थ छूट आदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।

(9) "सीमाशुल्क,केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण(नियंत्रण) अपील अधिकरण" की नाम पद्धति को परिवर्तित करके "सीमाशुल्क,उत्पाद-शुल्क और सेवा- कर अपील अधिकरण" किए जाने का प्रस्ताव है।

(10) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 11क(1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि, यथास्थिति,आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा शुल्क की मांग के लिए कारण बताओ सूचना के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा का लोप किया जा सके।

(11) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क(2ख) के अधीन कम उद्गृहीत राशि का ब्याज सहित संदाय किए जाने पर कारण बताओ सूचना और न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों का अभिमोचन करने के उपबंध को उन मामलों पर भी विस्तारित किया जा रहा है, जहां विभाग को कम उद्ग्रहण का पता चलता है।

(12) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घ के अधीन वसूलनीय रकमों पर ब्याज की वसूली को समर्थ बनाने के लिए नई धारा 11घघ को अंतःस्थापित किया जा रहा है।

(13) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 13 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा केवल आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही गिरफ्तार करने की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

(14) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय के विस्तार को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वित्त अधिनियम, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के अधीन सभी अधिसूचनाओं को और सेवा-कर के मामलों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके और किसी विदेशी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी को भी अग्रिम विनिर्णय का फायदा उठाने की अनुज्ञा दी जा सके।

(15) उपायुक्त/सहायक आयुक्त को, निर्धारिती की ओर से तकनीकी गलतियों या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का फायदा उठाने के लिए प्रक्रियात्मक अतिलंघनों को, जब तक कि निवेशों/पूंजी मालों की शुल्क संदेय प्रकृति और उपयोग संदेह से परे हैं, उपमर्षित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(16) अधिकारिता रखने वाले उपायुक्त/सहायक आयुक्त को, विनिर्माता को, ऐसे निवेशों को, जिनकी बाबत शुल्क का प्रत्यय लिया गया है, समुचित सुरक्षोपायों के अधीन रहते हुए, कारखाने से बाहर भंडार करने की अनुज्ञा देने के लिए अनुज्ञात किया गया है।

(17) विदेश जा रहे किसी वायुयान के पटल पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों पर संदत्त उत्पाद-शुल्क पर पूर्ण रिबेट की अनुज्ञा दी गई है।

(18) पाक्षिक आधार पर उत्पाद-शुल्क के संदाय की वर्तमान स्कीम के स्थान पर मासिक आधार पर संदाय की स्कीम को रखा जा रहा है। अब निर्धारिती से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी विशिष्ट मास के लिए संदाय आगामी मास की 5 तारीख तक करे। तथापि, मार्च मास के लिए शुल्क का संदाय 31 मार्च तक किया जाना होगा। यह उपबंध तारीख 1.4.2003 से प्रभावी होगा।

(19) बैंक में चैक या अन्य समान लिखतें जमा कराने की तारीख को, चैक की वसूली के अधीन रहते हुए, उत्पाद-शुल्क के संदाय की तारीख माना जाएगा।

(20) यह उपबंध किया गया है कि निर्धारित शुल्क का संदाय करने में व्यतिक्रम के मामले में, मासिक किस्तों में शुल्क का संदाय करने की सुविधा का न तो प्रत्याहरण किया जाएगा और न ही निर्धारिती को केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय का उपयोग करने से विवर्जित किया जाएगा। तथापि, निर्धारित शुल्क के संदाय के अतिरिक्त, उस तारीख से जिस तारीख को शुल्क का संदाय अपेक्षित था, उस तारीख तक जब तक कि भुगतान नहीं कर दिया जाता, 2% मासिक ब्याज या 1000 रुपए प्रतिदिन, इनमें से जो भी अधिक हो (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ब्याज शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा), का भुगतान करना होगा। यह उपबंध 1.4.2003 से प्रभावी होगा।

(21) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में यह उपबंध करने के लिए उपबंध किए जा रहे हैं कि 1 जुलाई 2003 को या उसके पश्चात् पारित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के किन्हीं आदेशों के विरूद्ध सभी अपीलों की बाबत मामलों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की बजाए उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा।

(22) मूल्य निर्धारण के सामान्यतः मान्य सिद्धांतों के अनुसार, अवधारित औसत माल-भाड़ा, हटाए जाने के स्थान से परे, परिवहन के संबंध में कटौती के लिए वहां अनुज्ञेय होगा जहां हटाए जाने के स्थान पर मूल्य का पता नहीं है

(23) क्रेता के विनिर्देश के अनुसार तैयार किए गए माल के मामले में अग्रिम निक्षेप पर ब्याज को तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि इस बात का विनिर्दिष्ट साक्ष्य न हो कि ऐसे निक्षेप के कारण मूल्य में कमी हो सकती है।

(24) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उस समय दंड देने का उपबंध करने के लिए वित्त अधिनियम, 1989 का संशोधन किया जा रहा है, जब वाहक यात्रियों से संगृहीत अंतरदेशीय वायु यात्रा कर का केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में संदाय करने में असफल रहता है।

द. भूतलक्षी संशोधनः

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 23.7.1996 से भूतलक्षी रूप से संशोधित किए जा रहे हैं जिससे कि नियम 57द में विनिर्माता द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन राजस्व व्यय के रूप में पूंजी माल पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय की कटौती के दावे के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके। तदनुसार, पूंजी माल पर संदत्त शुल्क का प्रत्यय, पूंजी माल पर संदत्त शुल्क के केवल उस भाग पर अनुज्ञात किया जाएगा जिस पर विनिर्माता आय-कर अधिनियम की धारा 32 के अधीन अवक्षयण का दावा करता है।

(2) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम (और पूर्व अवधि के लिए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम) भूतलक्षी रूप से यह उपबंध करने के लिए संशोधित किए जा रहे हैं कि तारीख 8.7.1999 की अधिसूचना सं.32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दोनों, के अधीन निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त निवेश पर संदत्त शुल्कों के प्रत्यय का केवल उक्त अधिसूचनाओं के अधीन छूट प्राप्त करने के पश्चात् ही निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा।

(3) तारीख 8.7.1999 की अधिसूचना सं.32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को 8.7.1999 से भूतलक्षी रूप से संशोधित को किया जा रहा है जिससे कि इन अधिसूचनाओं के अधीन प्रतिदायों को, संदत्त शुल्क की ऐसी रकम तक निर्बंधित किया जा सके, जिसमें से छूट प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त निवेशों पर प्रत्यय की रकम को कम कर दिया गया है।

(4) तारीख 8.7.1999 की अधिसूचना सं. 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीन अध्याय 24 के अधीन आने वाले तम्बाकू से युक्त सिगरेटों, पान मसालों और अन्य मालों की बाबत उत्पाद-शुल्क से छूट के फायदे को भूतलक्षी रूप से वापस लिया जा रहा है।

(5) तारीख 8.7.1999 की अधिसूचना सं.32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीन (i) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, (ii) बोंगईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड (iii) इंडियन आयल कारपोरेशन, गुवाहाटी और (iv) असम आयल डिवीजन, इंडियन आयल कारपोरेशन, डिगबोई द्वारा विनिर्मित और निकासी किए गए मालों की बाबत उत्पाद-शुल्क में छूट के फायदे को तारीख 12.2.2002 से भूतलक्षी रूप से वापस लिया जा रहा है। ऐसी इकाइयों को अन्य अधिसूचनाओं के अधीन दी गई शुल्क पर 50% की छूट जारी रहेगी।